नियम एवं शर्तें

01– आमंत्रित किये गये निविदा को किसी भी समय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा ।

02– निविदा के लिए समय सीमा दिनांक– 28/02/2022 को संध्या 5.00 बजे तक ।

03– निविदा को नीचे दिये गये पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट (एडी) अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।

अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ
जिला न्यायालय परिसर, जगदलपुर, बस्तर
पिन कोड– 494001

अथवा

यथा निर्धारित कार्यालय में जमा किया जायेगा।

04– सभी निविदाएं न्यूज पेपर में प्रकाशित अंतिम तिथि को दोपहर 03.00बजे तक अनिवार्य रूप से जमा हो जानी चाहिए ।

05– केंटीन, सायकल स्टैण्ड, एवं फोटो कापीयर मशीन संचालन हेतु प्राप्त पृथक–पृथक निविदा को कम से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति पर अगले ही कार्य दिवस पर संघ के अध्यक्ष एवं नियम– 2017 के अंतर्गत समिति के समक्ष सभी निविदाकर्ताओं की उपस्थिति अथवा उनकी ओर से उपस्थित अभिकताओ की उपस्थिति में निविदाएं खोली जायेंगी ।

06– सभी निविदाओं को खोलने के बाद जो भी उच्चतम बोली (दर) का सफल निविदाकर्ता होगा, उसकी घोषणा पृथक–पृथक की जायेगी। अधिकृत अधिकारी द्वारा उस समय निविदाकर्ताओं को केंटीन ,सायकल स्टैण्ड एवं फोटोकॉपीयर मशीन संचालन की अनुमति अनुबंध के माध्यम से दी जायेगी। साथ ही शेष निविदाकर्ता, जो कि उक्त निविदा में सम्मिलित हुए, पर सफल नहीं हुए, उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी निविदा की 25 प्रतिशत राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अगले 07 कार्य दिवस के भीतर जल्द से जल्द वापस कर दी जायेगी ।

07— सफल निविदाकर्ता को निविदा की शेष 75 प्रतिशत राशि अगले 07 कार्य दिवस के भीतर डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में, जो कि अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी कल्याण समिति ,शाखा जगदलपुर के नाम पर होना चाहिए, जमा करनी होगी। यदि ऐसा करने में उक्त निविदाकर्ता असफल रहा, तो उसका आवेदन एवं जमा राशि दोनों ही जब्त कर उसकी बोली को रद्द कर दिया जायेगा । उसे बोली की सम्पूर्ण राशि जमा 07 कार्य दिवस के भीतर जमा करने के पश्चात ही कैंटीन, सायकल स्टैण्ड एवं फोटोकॉपीयर मशीन संचालन की पात्रता होगी ।

08— केंटीन में बेची जानी वाली वस्तुएं बाजार दर से अधिक नहीं होंगी । यदि संभव हो तो दर बाजार दर से कम हो, यदि संभव हो तो सभी खाने की वस्तुएं एम0 आर 0 पी0 दर से कम में बेंचनी होंगी। कोई भी वस्तु एम0 आर0 पी0 दर से अधिक नहीं बेवी जायेगी । खाने की वस्तुओं की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान केंटीन संचालक को देना होगा तथा केंटीन संचालक द्वारा दिए जाने वाले स्नैक्स, पेय पदार्थ अथवा खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखना होगा ।

09— केंटीन संचालक अपने रसोइयों तथा उनके सहायक को साफ एप्रन एवं वर्दी उपलब्ध करायेगा ।

10— विद्युत, पानी एवं रखरखाव जो भी आवश्यकता होगी , सारे के शुल्क केंटीन संचालक द्वारा देय होंगे। यह शर्त सायकल स्टैण्ड एवं फोटो कापियर मशीन संचालक पर भी लागू होगी ।

11— केंटीन, सायकल स्टैण्ड, एवं फोटोकॉपीयर मशीन संचालक द्वारा लाईसेंस/दो माह का अग्रिम किराया अग्रिम तौर पर संघ के बैंक खाते में जमा करना होगा । यह दर 31 मार्च तक प्रचलित होगा, इसके बाद किराया केंटीन की निविदा राशि का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ाया जायेगा। केंटीन संचालक को मासिक किराया हर माह की 10 तारीख तक संघ के बैंक खाते में जमा करना होगा । यदि केंटीन संचालक नियमों का पालन करने में असफल रहता है, तो संघ केंटीन संचालक को सूचना देते हुए उसके अनुबंध को समाप्त कर सकेगा । यह शर्त सायकल स्टैण्ड , फोटोकॉपीयर मशीन संचालक पर भी लागू होगी ।

12— फोटोकॉपीयर मशीन का संचालन माननीय जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा जिला न्यायालय परिसर में उपलब्ध कराये गये स्थान पर सफल निविदाकर्ता द्वारा अपने स्वयं की फोटो कापी मशीन संस्थापित की जायेगी, साथ ही उक्त फोटो कापी मशीन को चलाने के लिए आपरेटर की नियुक्ति स्वयं करेगा ।

13— जिला न्यायालय परिसर में सायकल स्टैण्ड का संचालन सफल निविदाकर्ता सायकल स्टैण्ड में खडे किए गये वाहनों/सायकलों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, साथ ही अगर किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में वह पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा ।

14— संघ, सायकल स्टैण्ड में विभिन्न प्रकार के वाहनों की दरें तय करेगा, जो दैनिक/मासिक आधार पर होंगी, जिसमें कर्मचारी/अधिवक्ता/पक्षकार शामिल होंगे ।

15— निविदा बंद लिफाफे में होगी, लिफाफे के बाहर, अंदर रखे दस्तावेज का विवरण अभिलिखित किया जाना होगा ।

16— निविदाएं, जो निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त होंगी, उन्हें खोला नहीं जायेगा और वापस कर दिया जायेगा। ऐसी निविदाओं को वापस किये जानेका दिन एवं समय की जानकारी मोहरबंद लिफाफे में उल्लेखित होगी।

17— निविदाकर्ताओं को फर्म का पता उल्लेखित करना होगा ।

18— उपर्युक्त केंटीन, सायकल स्टैण्ड एवं फोटोकॉपीयर मशीन का संचालन, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित नियम — 2017 के अनुसार किया जायेगा ।

19— केंटीन हेतु न्यूनतम बोली मासिक राशि— 6000/—, सायकल स्टैण्ड हेतु 4000/— एवं फोटोकॉपीयर मशीन संचालन हेतु रूपये 3000/—की राशि संघ द्वारा निर्धारित की गयी है ।

20/12/21

अध्यक्ष,
न्यायिक कर्मचारी संघ
जिला न्यायालय परिसर, जगदलपुर, बस्तर
पिन कोड— 494001

अनुलग्नक–1
आवेदन पत्र का प्रारुप

01. अनुमति के लिए आवेदन

(01) केंटिन चलाने हेतु – जिला न्यायालय/ जिला न्यायालय परिसर

(02) फोटोकापी मशीन चलाने हेतु–जिला न्यायालय/ जिला न्यायालय परिसर

(03) सायकल स्टैंड चलाने हेतु – जिला न्यायालय/ जिला न्यायालय परिसर

जो लागु न हो उसे हटा दें.

02. आवेदक का नाम :– ....

03. पूर्ण पता :– ....

04. पहचान का प्रमाणः– :– ....
(स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

05. निविदा हेतु बोली राशि :– ....
(मासिक लाईसेंस शुल्क एवं किराया)

कृपया आवेदन के साथ निविदा की 25 प्रतिशत राशि डिमांड ड्राफट/बैंकर्स चेक द्वारा जो कि न्यायिक कर्मचारी कल्याण समिति, शाखा–जशपुर के नाम पर देय होगा और साथ ही निविदा खुलने के बाद सफल निविदाकर्ता को छोड़कर शेष सभी निविदाकर्ता को निविदा की राशि जल्द से जल्द वापस कर दी जायेगी।

06. डिमांड ड्राफट/बैंकर्स चेक कमांक और दिनांक

....

07. जारीकर्ता बैंक का नाम एवं शाखाः–

....

08. निविदाकर्ता के द्वारा सभी कालम यथावत एवं साफ तरीके से भरे जाने होगें अगर कोई भी कमी आवेदन में पाई गई तो उक्त आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। निविदाकर्ता के द्वारा अपना स्वप्रमाणित पहचान पत्र साथ ही निविदा राशि की डिमांड ड्राफट/बैंकर्स चेक, जैसा कि उपरोक्तानुसार सरल क0

06 एवं. 07 में उल्लेखित किया गया है, संलग्न करना होगा यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई गई तो उक्त निविदा निरस्त कर दिया जायेगा।

घोषणा

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नि .... एतद सभी उत्तरदायित्व लेता/लेती हुं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी जो निविदा में दी जा रही है सत्य है और मैं हर परिस्थितियों में केंटिन चलाने, फोटोकापी मशीन एवं सायकल स्टैंड चलाने हेतु जिला न्यायालय नियम, 2017 में उल्लेखित नियमों का पालन करुंगा/करुंगीं एवं किसी भी बिंदु पर अगर यह देखा गया कि मेरे द्वारा कोई गलत जानकारी या उपरोक्त नियमेां के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन या नियमों से संबंधित किसी तथ्य को हटाया गया तो मेरे अनुबंध को बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाये।

हस्ताक्षर – ....

नाम – ....